वन विभाग, हरियाणा सरकार
कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, जीन्द
पुराना हांसी रोड, नजदीक बीड बडा बन, वन कम्पलैक्स, जीन्द
E.Mail Address: dfojind2009@rediffmail.com
दूरभाष नं0 01681 255458

क्रमांकः F-I-211/ 1001 /पटवार   दिनांकः 12/10/2021

सेवा में

Executive Engineer,
HSVP Division No. 1,
Hisar.

Sub: Diversion of 0.185 hect. of Forest land in favour of Executive Engineer, HSVP Division No.1, Hisar for laying of external HUDA Sewer line in Sector 6, 7, 8 & 9 under Forest Division & Distt. Jind (Haryana).
Online Proposal No. (FP/HR/Others/ 27730/2017)

....

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, एफ0सी0ए0, हरियाणा पंचकूला के पत्र क्रमांक प्रशा0डी0तीन0 10027/4170 दिनांक 12–10–2021 द्वारा केस की सैद्वान्तिक/स्टेज–I की स्वीकृति जारी की गई। अतः आपको उक्त पत्र की प्रति एवं प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम से सम्बन्धित राशि का डिमाण्ड नोट निम्न विवरण अनुसार जारी करते हुए लिखा जाता है कि आप सैद्वान्तिक स्वीकृति में अंकित हिदायतों/शर्तो की अनुपालना करना सुनिश्चित करें तथा forestclearance.nic.in पर अपने केस सम्बन्धी ऑनलाईन चालान जनरेट करके राशि RTGS/ NEFT के माध्यम से जमा करवाकर चालान/रसीद की प्रति UTR नम्बर अंकित सहित forestclearance.nic.in पोर्टल पर अपलोड करते हुए इस कार्यालय में भेजें ताकि केस फाईनल स्वीकृति हेतू उच्चाधिकारियों को भेजा जा सके : –

1-	Compensatory Afforestation	: 595859.00
2-	Additional Compensatory Afforestation	: 0.00
3-	Penal Compensatory Afforestation	: 0.00
4-	Safety Zone Survey & Demarcation	: 100000.00
5-	Catchment Area Treatment (S.M.C.)	: 178758.00
6-	Additional Charges for protected Area	: 0.00
7-	Net Present Value (NPV)	: 164095.00
8-	Any Other Charges 1 (Felling charges)	: 852.00
	Any Other Charges 1 (Equipment for Cultural Operation)	: 200000.00
	G. Total	**1239564.00**

वन मण्डल अधिकारी,
जीन्द ।

सलंग्न/यथो0

पृ0 कमांकः 1002-03   दिनांकः 12/10/2021

एक प्रति निम्नलिखित कोः –

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन सरंक्षक, एफ0सी0ए0, पंचकूला को उनके पत्र कमांक प्रशा0डी0तीन0 10027/4170 दिनांक 12–10–2021 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है ।
2. व0रा0अ0 जीन्द को अनुलंग्नक की प्रति सहित आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है ।

वन मण्डल अधिकारी,
जीन्द ।

सलंग्न/यथो0

93

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी–18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांकः प्रशा–डी–तीन–10027/5170 दिनांकः 12-10-2021

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी परिमण्डल,
हिसार ।

विषय : Diversion of 0.185 ha. of forest land in favour of Executive Engineer, HSVP Division No. 1, Hisar for laying of external HUDA sewer line in Sector 6, 7, 8 & 9, under forest division and District Jind, Haryana.
Online Proposal No. FP/HR/Others/27730/2017
संदर्भ : आपका पत्र क्रमांक 849 दिनांक 27–8–2021 ।

कृपया उपर्युक्त विषय पर संदर्भांकित पत्र का अवलोकन करें जिसमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है ।

2. सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक 1670–व–2–2016/8430 दिनांक 6–5–2016 की अनुरूपता में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय स्तर पर इस प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त उद्देश्य हेतु 0.185 हैक्टेयर वन भूमि के उपयोग के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूर्ण करने पर प्रदान की जाती है :–

(i) प्रयोक्ता एजैन्सी से स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की राशि जमा करवाई जाए ।

(ii) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 30–10–2002, 28–3–2008, 24–4–2008 एवं 9–5–2008 तथा पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के निर्देश संख्या 5–3/2007–एफ0सी0, दिनांक 5–2–2009 के अनुसार प्रयोक्ता एजैन्सी से प्रस्तावित वन भूमि की नैट प्रैजेन्ट वैल्यु जमा करवाई जाए ।

(iii) प्रयोक्ता एजैन्सी भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की website www.parivesh.nic.in के माध्यम से अपने केस में चालान जनरेट करके उसमें अंकित लेखा में ही राशि जमा करवाएगी ।

590
12/11/21

3. अन्तिम स्वीकृति के उपरान्त निम्नलिखित शर्तों का पालन भी किया जाएगा ।

(i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।

(ii) प्रस्ताव के अनुसार कम से कम वृक्ष काटे जाएंगे एवं काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी ।

(iii) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

(iv) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।

(v) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।

(vi) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।

(vii) सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।

(viii) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।

(ix) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धन राशि उपलब्ध करवाई जाएगी ।

(x) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।

(xi) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।

(xii) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें प्रयोक्ता एजैन्सी के खर्च पर 4 फीट ऊँचे सीमेंट के खम्भों द्वारा चिन्हित की जाएंगी । प्रत्येक खम्भे पर कम संख्या, डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक तथा एक खम्भे से दूसरे खम्भे की दूरी आगे तथा पीछे लिखी जाएगी ।

(xiii) यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता एजैन्सी पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरणीय समाशोधन प्राप्त करेगी ।

(xiv) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।

(xv) खाई (trench) की चौड़ाई एक मीटर से अधिक व गहराई दो मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और इसके लिए जे0सी0बी0 का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

(xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी किसी भी प्रकार के रख–रखाव के कार्यों के लिए वन विभाग के स्थानीय अधिकारी की अनुमति प्राप्त करेगी ।

(xvii) इस अनुमति अधीन प्रत्यावर्तन अवधि, प्रयोक्ता एजैन्सी के पक्ष में दी जाने वाली लीज अवधि या परियोजना काल, इनमें से जो भी कम हो, के साथ समाप्त हो जाएगी ।

(xviii) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय–समय पर लगाई जा सकती है ।

(xix) इन शर्तों में से किसी भी शर्त की उल्लंघना वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 की उल्लंघना होगी, जिसके परिणामस्वरूप Guidelines 1.21 of Handbook of Forest (Conservation) Act, 1980 and Forest Conservation Rules, 2003 (Guidelines & Clarifications)-2019 के अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।

(xx) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।

4. उपरोक्त पैरा–2 के अधीन शर्तों की अनुपालना रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त, वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अन्तिम स्वीकृति के लिए प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा । *अन्तिम अनुमति दिए जाने तक वन भूमि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।*

V.Kanwar 11.10.2021

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :–

1. क्षेत्रीय अधिकारी, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, जीन्द ।
3. Executive Engineer, HSVP Division No. 1, Hisar.